न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर

CNR No. UPAN010046022026

Bail Application/709/2026

जितेन्द्र निषाद उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम गोविन्दापुर, थाना भीटी, जनपद– अम्बेडकर नगर।

.....अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0 58/2026
धारा 87, 137(2) बी.एन.एस.
थाना– भीटी,
जिला– अम्बेडकर नगर।

01.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र निषाद द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, प्रार्थी राजेन्दर पुत्र राममिलन ने थाने पर इस आशय की लिखित सूचना दिया कि, दिनांक 09.04.2026 को शाम करीब 6 बजे हमारी पुत्री दुर्गावती उम्र 17 वर्ष को जितेन्द्र निषाद पुत्र गिरधारी निषाद निवासी गोविन्दापुर, पौसलवा ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है तथा अपना सारा कागजात व 5 हजार रूपया अपने साथ लेकर गयी है। हमारी लड़की मो0 6394770508 व 7307082328। अतः निवेदन है कि मेरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे। उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. अभियुक्त द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी सर्वथा निर्दोष है महज रंजिश के कारण उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई माकूल साक्ष्य नहीं है। वादी मुकदमा प्रार्थी से रंजिश रखता है रंजिश के कारण वादी मुकदमा व विपक्ष के लोग मुकामी पुलिस से मिल मिलाकर प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसा दिया है। प्रार्थी को थाना स्थानीय की पुलिस प्रार्थी को घर से पकड़कर ले गयी और उपरोक्त मुकदमा में चालान कर दिया। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जो भी साक्षी है वह वादी मुकदमा के मेली मददगार है। अवर न्यायालय से प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी शांति प्रिय व्यक्ति है प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.06.01 17:40:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी सक्षम जमानत न्यायालय के आदेशानुसार देने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विवेचना/मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने की आख्या आहूत की गयी। थाने से आख्या प्राप्त है। जिसके अनुसार, प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पूर्व से शादीशुदा व एक बेटी का पिता होने के बाद भी वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री/ पीड़िता को दो बार भगाया जा चुका है तथा पीड़िता की बहन गवाह को यह धमकी दिया कि पीड़िता से शादी की बात को माता पिता को बताओगी तो अभियुक्त जितेन्द्र ने मर जाने की धमकी दिया था। अभियुक्त द्वारा विद्युत टावर पर चढ़कर मौजूद लोग व स्थानीय पुलिस से कहा कि उसने दुर्गावती से मिलवाया जाये अन्यथा कोई बड़ी घटना कारित करने की धमकी दिया।

5. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला–फुसला कर भगा ले जाने एवं वादी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता का व्यपहरण अयुक्त संभोग करने की नियति से करने का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज में अत्यन्त ही घृणित एवं संज्ञेय प्रकृति का है, तथा महिला की अस्मिता से संबंधित है। यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है तो साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार किये हुए अभियुक्त के जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र निषाद द्वारा मु0अ0सं0 58/2026 अन्तर्गत धारा 87, 137(2) बी.एन.एस. थाना भीटी, जिला अम्बेडकर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 01.06.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकर नगर।
I.D.No. UP01837